न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2022/61)

प्रकरण संख्याः— 89/2022
तारीख दायरः— 22/03/2022
निर्णय दिनांकः—30/10/2025

उनवान

1. भाऊ पिता वरदा जाति सालवी निवासी रत्ना का गुडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थी।

बनाम

1. आसूराम पिता जेता सालवी निवासी रत्ना का गुडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. नोलसिंह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी टोकरा रत्ना का गुडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. डूगरसिंह पिता देवीसिंह जाति रावत निवासी टोकरा रत्ना का गुडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. जवानसिंह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी टोकरा रत्ना का गुडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. केसरसिंह पिता रामसिंह जाति रावत निवासी टोकरा रत्ना का गुडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम कुवांथल पटवार मण्डल कुवांथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 364 आराजी संख्या 373 रकबा 0.0400 हैक्टेयर आराजी संख्या 381 रकबा 2.9800 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 01, 04, 05 के विरूद्ध अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 01, 04, 05 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई ।

उपखण्ड अधिकारी,देवगढ
जिला—राजसमन्द (राज.)

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम कुवांथल पटवार मण्डल कुवांथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 364 आराजी संख्या 373 रकबा 0.0400 हैक्टेयर आराजी संख्या 381 रकबा 2.9800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

30/10/25

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द